

2023/847

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा  
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 शिविर— कुराडिया)

प्रकरण संख्या / 791/23

दिनांक : 05/06/23

उपखण्ड

श्री सुशीला देवी पत्नी हरिचन्द्र मीणा

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का कुराडिया भू अ. नि. अमरवासी एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम धात्वोला प. ह. कुराडिया की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2076-2078 के खाता संख्या में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है
01.	प्रार्थी के पिता का नाम	सुशीला देवी पत्नी हरिचन्द्र मीणा	सुशीला देवी पत्नी हरिचन्द्र मीणा

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री सुशीला देवी पत्नी हरिचन्द्र मीणा
3. रक्षित पत्रावली सुशीला देवी पत्नी हरिचन्द्र मीणा

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा